

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जून 2023—ज्येष्ठ 24, शक 1945

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2023

क्र. 3004-949664-2022-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 64 में, उप-नियम (1) में, शब्द “प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” के स्थान पर शब्द “सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी”, शब्द “अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” के स्थान पर, शब्द “सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” तथा शब्द “सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” के स्थान पर, शब्द “परिवहन निरीक्षक” स्थापित किए जाएं।

No. 3004-949664-2022-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule, 64, in sub-rule (1) for the words “Regional Transport Officer”, the words “Assistant Regional Transport Officer”, for the words “Additional Regional Transport Officer”, the words “Assistant Regional Transport Officer” and for the words “Assistant Regional Transport Officer” the words “Transport Inspector” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव।